निर्णय ब इजलास डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जयपुर

प्रकरण संख्या : 92/2025 (मुन्तकिल प्रार्थना पत्र)

1. अर्जुन पुत्र बिरदा
2. कल्याण सहाय पुत्र काना ,
3. कैलाश पत्रु ग्यारसा
4. नेहनू पुत्र भौरया
5. रामफूल पुत्र मांगीलाल
6. रामसिंह पुत्र बिरदा
7. लल्लू राम पुत्र प्रभात

समस्त जातियान मीणा, निवासीयान गाम धामस्या, चेलावा की ढाणी, तहसील आंधी, जिला जयपुर ।

प्रार्थीगण

बनाम

1. श्री ललित कुमार मीणा आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ, जिला जयपुर ।
2. जगदीश पुत्र गोकुल
3. श्रीमती नाथी देवी पत्नी स्व. श्री लक्ष्मीनारायण
4. मंगला दत्तक पुत्र रामनाथ
5. रेखा पुत्री लक्ष्मीनारायण
6. सुमन पुत्री लक्ष्मीनारायण
7. सीता पुत्री लक्ष्मीनारायण

समस्त जातियान मीणा, निवासीयन ग्राम धामस्या चोलावा की ढाणी, तहसील आंधी, जिला जयपुर।

तहसीलदार जमवारामगढ जिला जयपुर ।

अप्रार्थीगण

9. उदाराम पुत्र मांगीलाल
10. कजोड पुत्र काना
11. कल्याणी पत्नी स्व. श्री प्रभात
12. गोपाल पुत्र बिरदा
13. फैलीराम पुत्र प्रभात
14. मन्नी देवी पत्नी गयारसा
15. मोहन लाल पुत्र बिरदा
16. सांवल रामपत्र ग्यारसा

समस्त जाति मीणा, निवासीसान ग्राम धामस्या, चोलावा की ढाणी, तहसील आंधी, जिला जयपुर।

तरतीबी अप्रार्थीगण

जिला कलक्टर
जयपुर

मुन्तिकिल प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 235 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ के समक्ष विचाराधीन प्रकरण संख्या 349/2024 ब उनवानी जगदीश व अन्य बनाम अर्जुन लाल व अन्य को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरित करने बाबत।

उपस्थित –

1. श्री दिनेश पारीक अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से
2. श्री विजय कुमार शर्मा अधिवक्ता अप्रार्थी 04 की ओर से ।

निर्णय दिनांक 03.03.2025

1. संक्षेप में मुन्तकिल प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ के समक्ष प्रकरण संख्या 349/2024 ब उनवानी जगदीश बनाम अर्जुन व अन्य विचाराधीन है। जिसमें पीठासीन अधिकारी से न्याय मिलने में शंका जाहिर कर प्रार्थीगण ने उक्त प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में अन्तरण किये जाने का अनुरोध किया है।
2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ से बिन्दूवार टिप्पणी तलब की गई, किन्तु प्राप्त नही हुई। अप्रार्थी संख्या 4 की ओर से अधिवक्ता श्री विजय कुमार शर्मा ने उपस्थित होकर वकालतनामा पेश किया।
3. बहस उभय पक्ष सुनी गई।

प्रार्थी अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ के समक्ष एक दावा बाबत अन्तर्गत धारा 251–ए, आर॰टी॰ए॰ ब उनवानी जगदीश बनाम अर्जुन व अन्य के नाम से विचाराधीन है जिसमें अप्रार्थी संख्या 2 ने एलानिया घोषणा की कि आप कुछ भी कर लो, हम करेंगे वो ही होगा आप तो केस की औपचारिकता जल्दी से जल्दी पूरी करें। पिछली पेशी पर स्वंय पीठासीन अधिकारी ने खुले न्यायालय में प्रार्थी को कहा कि मेरे ऊपर विधायक महोदय का दबाव है, इसलिए मै कुछ भी नहीं सुनुंगा, आप जल्दी से जल्दी अपनी फाईल पूरी करे। अप्रार्थी संख्या 2 एक भू–माफिया से वास्ता रखता है व संख्याबल, बहुबल एवं धनबल युक्त है और उसके द्वारा ऐसी एलानिया घोषणा से प्रार्थी को यह आभास हो गया है कि मुझे न्याय प्राप्त नहीं होगा । अप्रार्थी संख्या एक के विधायक महोदय से नजदीकी संबंध है एवं अप्रार्थी संख्या 1 ने एलानिया घोषणा की है कि विधायक महोदय की उपखण्ड अधिकारी से बात हो गई है एवं उपखण्ड अधिकारी ने अप्रार्थी को आश्वासन दिया है कि जल्दी से जल्दी औपचारिकता पूरी करो, आपके पक्ष में दावा डिक्री करवा दूंगा । अप्रार्थी संख्या 2 ने गांव में मिठाई भी बांट दी है और यह घोषणा कर दी है कि मै प्रार्थी का दावा मंजूर करवा कर रहूंगा। अप्रार्थी द्वारा पीठासीन अधिकारी को प्रभाव में लेने के कारण एवं उसकी एलानियां घोषणा होने के

जिला कलक्टर
जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

कारण एवं पीठासीन अधिकारी के द्वारा पत्रावली को बार–बार बहस में लगाने से अपने प्रभाव में लेने का आभास हो जाने के कारण यदि दावे को अन्यत्र स्थानान्तरित नहीं किया गया तो प्रार्थी को अपूर्तनीय क्षति होगी, जिसकी भरपाई किसी भी रूप से सम्भव नहीं हो पायेगी। ऐसी स्थिति में उक्त प्रकरणं को निस्तारण हेतु किसी अन्य सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरित किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। अतः उक्त उनवानी प्रकरणं को अन्य सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने का आदेश फरमावें।

5. अप्रार्थी संख्या 4 के अधिवक्ता ने उक्त तर्को का खण्डन करते हुये दलील प्रस्तुत की कि प्रार्थी ने प्रकरण के निस्तारण में विलम्ब किये जाने की मंशा से काल्पनिक, मिथ्या व मनघढन्त आरोप लगा कर यह मुन्तकिल प्रार्थना पत्र पेश किया है जो खारिज किये जाने योग्य है। अतः मुन्तकिल प्रार्थना पत्र को खारिज फरमाया जावे।

6. उभय पक्ष के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया।

7. प्रार्थी ने मुन्तकिल प्रार्थना पत्र में लगाये गये आरोपों के समर्थन में कोई ठोस सबूत पेश नहीं किया है। प्रार्थी ने केवल कयास के आधार पर यह मुन्तकिल प्रार्थना पत्र पेश किया है, जो सही नहीं है। उभय पक्ष को गौर से सुनने एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर यह परिलक्षित होता है कि दौराने सुनवाई पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रकरण में ऐसी कोई कार्यवाही किया जाना नहीं पाया गया है, जिससे प्रकरण को अन्यत्र न्यायालय में मुन्तकिल किया जावे। प्रार्थीगण द्वारा मुन्तकिल प्रार्थना पत्र में लगाये गये आरोपों की पुष्टि नहीं होती है। फलस्वरूप मुन्तकिल प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

8. निर्णय की प्रति पालनार्थ हस्ब कायदा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ को प्रेषित हो। पत्रावली नम्बर से कम हो कर शुमार फैसल हो।

9. निर्णय आज दिनांक 03.03.2025 को सरे इजलास सुनाया गया ।

(डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी)
जिला कलक्टर
जयपुर